न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 150/2011

उनवान

1. हैरिस लोरेन्स (तर्क)
2. सिरिल लौरेन्स पि. उत्तम प्रसाद उर्फ डी. लौरेन्स जाति ईसाई नि. मिशन कम्पाउण्ड, नसीराबाद,
3. ऐलिस पत्नी हैण्ड्री लौरेन्स एवं पुत्रवधु उत्तम प्रसाद उर्फ डी. लौरेन्स जाति ईसाई नि. मिशन कम्पाउण्ड, नसीराबाद (तर्क)

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. हैरल्ड, (फौत)
1/1. वायलेट पत्नी हैरल्ड
1/2. प्रेम पुत्र हैरल्ड
2. जैरल्ड, (फौत)
2/1. जेनेटदास पत्नी जैरल्ड
2/2. अनिल ऐन्थोनी
2/3. हिल्डा रोज
2/4. शानू शोरतएन
2/5. टूटू मेरी रोज पि0 जैरल्ड
3. हनूक पि. प्रभुदास जाति ईसाई नि0 ग्राम आशापुरा, नसीराबाद,
4. समोक देवी पत्नी किशनलाल जाति जाट नि. ग्राम गादेरी, नसीराबाद
5. राज. सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
5 जरियें राज0 पैरोकार, 4 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92, 92 क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.08.24

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आशापुरा प0म0 गादेरी की निम्न आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
57	1–2–0	215	1–2–0	255	0.18
70	0–19–10	214	–10	257	0.16
39	1–0–0	49	1– 0	52	0.02
				53	0.23
62	1–10–10	224	1–10–10	264	.25
234	1–2–0	270	2–0	325	.18
297	1–4–0	461	1–4–0	504	0.19
298	1–15–10	449	1–15–10	504	0.29

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:08 IST
Reason: SelfAttested

——2

आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर जमाबंदी सवंत 2025 से 2028 में वादीगण के
पिता/ससुर उत्ततम प्रसाद पुत्र देवीलाल उर्फ लौरेन्स जाति ईसाई की खातेदारी में दर्ज है।
उक्त आराजी पर वादीगण व पूर्वज कदीम से काबिज काश्त है। चौसाला खसरा नम्बर 39
व 62 के वंर्किग खसरा नम्बर 49 व 224 व हाल खसरा नम्बर 52, 53, 264 त्रुटिपूर्ण रूप से
वंर्किग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी। जबकि प्रतिवादीगण को
कभी भी वादीगण द्वारा बैचान नही किया गया है। मूल खातेदार की मृत्यु हो गयी है जिसके
वारिस वादीगण ही है। वंर्किग जमाबंदी में वादी संख्या 2 का नाम सुरेश सुखदेव अंकित हो
गया जबकि सही नाम सिरिल है। उक्त त्रुटीपूर्ण इन्द्राज के कारण वादी संख्या 3 ने अपना
हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को बैचान कर दिया। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण
के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है, तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः
हाल खसरा नम्बर 52, 53, 264 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण
जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया।
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा
नम्बर 39 व 62 के वंर्किग खसरा नम्बर 49 व 224 व हाल खसरा नम्बर 52, 53, 264
राजस्थान पेसप्रटेरियन मिशन आशापुरा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता प्रभुदास पुत्र
चमना को जरियें पंजीकृत दान पत्र दी गयी। तब से उक्त आराजी प्रतिवादीगण के कब्जे
काश्त की चली आ रही है। प्रतिवादीगण के पिता द्वारा पूर्व में एक वाद 47/1965
प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 183 का पेश किया था व उक्त वाद की अपील
प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गयी। आराजी मुतनाजा पर कभी भी वादीगण का कब्जा
काश्त नही रहा। अतः वादपत्र सव्यय खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 प्रकरण में
अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादीगण ने जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता ने
साबिक खसरा नम्बर 239, 62 व 234 दिनांक 23.04.58 को प्रतिवादीगण के पिता प्रभुदास से
जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया था। आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा चला
आ रहा है।

प्रकरण में वाद व जवाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती व खातेदारी
उद्घोषणा प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

2 आया आराजी मुतनाजा प्रतिवादी के पिता को जरियें गिफट डीड प्राप्त हुयी, अतः वाद
खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख विक्रय पत्र पेश किये तथा
वादी सिरिल लौरेन्स पि. उत्तम प्रसाद ... ये।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण को समु... देने के उपरान्त भी उनके कोई साक्ष्य पेश
नही किये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर
मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:08 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी संख्या 1:—</u>

प्रदर्श 1 व 10 चौसाला जमाबंदी में आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 39 रकबा

——3

1–0–0 व 62 रकबा 1–10–10 की आराजी वादीगण के पूर्वज उत्तम प्रसाद के नाम दर्ज है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में खसरा नमबर 49 व 224 व हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 52 रकबा 0.02, 53 रकंबा 0.23 व 264 रकबा 0.25 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वंर्किग जमाबंदी के उक्त इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.1.10 को प्रतिवादी संख्या 4 को बैचान कर दी है। वादी द्वारा अपने वाद मे आराजी मुतनाजा उनकी पुश्तैनी होने व वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने का कथन किया है वही प्रतिवादीगण ने वाद पत्र का खण्डन कर अपने जवाब में कथन किया है कि चौसाला खसरा नम्बर 39 व 62 के वंर्किग खसरा नम्बर 49 व 224 व हाल खसरा नम्बर 52, 53, 264 राजस्थान पेसप्रटेरियन मिशन आशापुरा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता प्रभुदास पुत्र चमना को जरियें पंजीकृत दान पत्र दी गयी। तब से उक्त आराजी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की चली आ रही है। प्रतिवादीगण के पिता द्वारा पूर्व में एक वाद 47/1965 प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 183 का पेश किया था व उक्त वाद की अपील प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गयी। किन्तु प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के समर्थन में कोई मौखिक व अभिलेखिय साक्ष्य पेश नही की है। वादीगण ने अपने जवाबुल जवाब के साथ विक्रय पत्र भी पेश किये है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण के पूर्वज प्रभुदास ने आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 62 व 39 की आराजी वादीगण के पूर्वज उत्तमप्रसाद को दो पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा दिनांक 10.1.58 व 23.4.58 को विक्रय कर दी थी। इसकी ताईद प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7 से होती है। उक्त विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण प्रभुदास के स्थान पर उत्तम प्रसाद के नाम नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 20.7.59 से दर्ज किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 11 वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु एक वाद माननीय सिविल न्यायालय नसीराबाद में प्रकरण संख्या 136/2013 हैरिस लोरेन्स बनाम हैरल्ड वाद पेश किया। उक्त वाद में दिनांक 16.10.23 को सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया गया खसरा नम्बर 52, 53 व 264 की आराजी का विक्रय पत्र निरस्त कर दिया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य, दस्तावेज व बयान के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज की विधिक क्रयशुदा है जिसकी पालना तत्समय के राजस्व अभिलेख में की गयी। वादी सिरिल लोरेन्स ने अपने बयान में भी स्वीकार किया है कि अराजी मुतनाजा उसके पिता की क्रयशुदा है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण/पूर्वज के पास किस प्रकार आयी यह प्रतिवादीगण स्पष्ट नही कर पाये है। उनके द्वारा पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये गये है। वादी द्वारा प्रस्तुत मोखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकी संख्या 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2

उक्त तनकी सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का था किन्तु उनके द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वाद के खण्डन में मुख्य कथन किया है कि आराजी मुतनाजा उनके पिता को दान पत्र के जरियें प्रापत हुयी है किन्तु उक्त दान पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का यह भी कथन है कि उनके पिता द्वारा पूर्व में एक वाद 47/1965 प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 183 का पेश किया था व उक्त वाद की अपील प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गयी। किन्तु उक्त वाद की प्रमाणित प्रति भी प्रतिवादीगण द्वारा पेश नही की गयी है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र से आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादीगण के पूर्वज को बेचान करना सिद्व होता है जिसका विवेचन तनकी संख्या में विस्तृत रूप से किया गया है। राजस्व अभिलेख में उक्त

––4

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:08 IST
Reason: SelfAttested

आराजी वादीगण के पूर्वज के नाम विक्रय पत्र की पालना के बाद बिना किसी विधिक आधार के पूर्व इन्द्राज को परिवर्तित कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम वंर्किग जमाबंदी व बाद में हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गयी। जिसका फायदा उठाते हुये प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आरजी मुतनाजा का बैचान प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में कर दिया। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उक्त आराजी का हस्तांतरण व रहन अन्यत्र कर दिया किन्तु सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र निरस्त कर दिया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण व रहन भी स्वतः ही निरस्त है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर वाद का खण्डन नही किया है। तनकी संख्या 2 विरूद्व प्रतिवादी बहक वादी निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम आशापुरा प0म0 गादेरी के हाल खसरा नम्बर 52 रकबा 0.02, 53 रकबा 0.23 व 264 रकबा 0.25 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:24:08 IST
Reason: SelfAttested